IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में जनजातीय समुदाय का विकास एवं योगदान वैश्विक संदर्भ में

Development and Contribution of Tribal Communities in India: In a Global Context

Authors

अनुराग त्रिपाठी - शोध छात्र

शिक्षा शास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

प्रो० अमिता पाण्डेय भारद्वाज - शोध निर्देशिका

शिक्षा शास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

सारांश

भारत विश्व के सर्वाधिक जनजातीय विविधता वाले राष्ट्रों में से एक है, जहाँ लगभग 10.45 करोड़ (2011 जनगणना) जनजातीय जनसंख्या 705 से अधिक जनजातीय समूहों में विभाजित है। ये समुदाय भारतीय सभ्यता की आदिम धारा के संवाहक हैं और देश के वन, जल, खनिज एवं सांस्कृतिक संसाधनों के प्रमुख संरक्षक रहे हैं। तथापि स्वतंत्रता के सात दशकों के पश्चात् भी ये समुदाय विकास की मुख्यधारा से पूर्णतः सम्बद्ध नहीं हो सके हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक विकास-क्रम, उनके सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक योगदान तथा उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों का वैश्विक संदर्भ में तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। वेदकालीन साहित्य से लेकर NEP 2020 तक की जनजातीय नीतियों का परीक्षण करते हुए यह स्थापित किया गया है कि जनजातीय समुदाय भारत के सतत विकास (Sustainable Development) में अनिवार्य भागीदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों — ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, बोलीविया — के आलोक में भारत के लिए नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किये गए हैं।

मुख्य शब्द:

जनजातीय विकास, भारतीय जनजाति, वैश्विक स्वदेशी समुदाय, वन अधिकार अधिनियम, UNDRIP, सतत विकास, जनजातीय योगदान, IKS, पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, PESA, समावेशी नीति

प्रस्तावना

विश्व में लगभग 47 करोड़ स्वदेशी (Indigenous) जनसंख्या 90 से अधिक देशों में निवास करती है। ये समुदाय विश्व की जैव विविधता के 80% भाग के संरक्षक हैं, किंतु दुनिया के सर्वाधिक निर्धन 15% लोगों में सम्मिलित हैं (UNDESA, 2023) । भारत इस वैश्विक चुनौती का सर्वाधिक जटिल उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भारत की जनजातीय जनसंख्या देश के भौगोलिक क्षेत्र के सर्वाधिक संवेदनशील और संसाधन-सम्पन्न भागों — मध्य भारत, उत्तर-पूर्व, पश्चिमी तट और अंडमान निकोबार — में निवास करती है। उनके पास पीढ़ियों से संचित पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (Traditional Ecological Knowledge — TEK) है, जो आधुनिक विज्ञान की अनेक चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

तथापि औपनिवेशिक काल की 'जंगल-साफ करो' नीति से लेकर स्वतंत्र भारत की विकास परियोजनाओं तक — जनजातीय समुदाय निरंतर विस्थापन, सांस्कृतिक अपक्षय और आर्थिक हाशियाकरण के शिकार होते रहे हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य इस विरोधाभास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में समझना और समाधान के मार्ग प्रशस्त करना है।

ऐतिहासिक उपस्थिति: वेद से आधुनिक काल तक

वैदिक काल में जनजातीय भूमिका

भारतीय ज्ञान परंपरा में जनजातीय समुदायों की उपस्थिति वैदिक काल से प्रमाणित है। ऋग्वेद के 'अरण्यानी सूक्त' (10.146) में वन-देवी की स्तुति वनवासी जीवन के प्रति वैदिक आदर का प्रमाण है। 'किरात', 'निषाद', 'शबर' और 'पुलिंद' जनजातियों का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में मिलता है। अथर्ववेद में 5,000 से अधिक औषधीय पौधों का जो विवरण है, उसका एक बड़ा भाग जनजातीय वैद्यों के अनुभव-सिद्ध ज्ञान पर आधारित है (Gadgil & Guha, 1992) ।

'सभा' और 'समिति' की अवधारणा (ऋग्वेद 10.191) जनजातीय ग्राम-सभाओं की लोकतांत्रिक परंपरा का वैदिक प्रतिबिम्ब है। वन्य जनजातियों ने आर्य संस्कृति को वनस्पति विज्ञान, पशु-पालन, लोहा-गलाने की कला और वन-प्रबंधन के अमूल्य ज्ञान से समृद्ध किया। इस सहयोगी ज्ञान-निर्माण की प्रक्रिया ने भारतीय सभ्यता को उसकी अद्वितीय विविधता प्रदान की।

महाभारत, रामायण और जनजातीय आख्यान

महाकाव्य काल में जनजातीय नायक केंद्रीय भूमिका में हैं। एकलव्य का आख्यान जनजातीय स्व-अधिगम और समर्पण का असाधारण दस्तावेज़ है। रामायण में भगवान राम का शबरी माता के आश्रम में आगमन, वानर-सेना के साथ मित्रता और वनवासियों का सहयोग — ये सभी जनजातीय-मुख्यधारा सहयोग के प्रतीकात्मक चित्रण हैं। महाभारत में 'किरात' अर्जुन का प्रसंग (वन पर्व) जनजातीय युद्ध-कौशल और आध्यात्मिक शक्ति का उल्लेखनीय विवरण प्रस्तुत करता है।

बौद्ध एवं जैन परंपरा में जनजातीय समावेश

भगवान बुद्ध के जातक ग्रंथों में अनेक वन्य जनजातियों के पात्र नैतिकता और करुणा के प्रतीक के रूप में चित्रित हैं। अशोक के शिलालेखों में 'अटविक' (वन-निवासी) जनजातियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नीति का उल्लेख है। जैन परंपरा का अहिंसा सिद्धांत जनजातीय प्रकृति-संरक्षण दर्शन से गहराई से जुड़ा है। ये परंपराएँ सिद्ध करती हैं कि जनजातीय समुदाय भारतीय धार्मिक-दार्शनिक विकास के अभिन्न अंग रहे हैं।

मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और जनजातीय योगदान

भक्ति आंदोलन में जनजातीय और अवर्ण परंपराओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है। कबीरदास, रैदास, तुकाराम और मीराबाई की वाणी में जनजातीय सह-अस्तित्व की भावना प्रवाहित है। गोंडवाना की लोक-संस्कृति ने मध्यकालीन

साहित्य को अनेक रूपक, संगीत-शैलियाँ और जीवन-दर्शन प्रदान किए। संत तुकोबा का आंदोलन महाराष्ट्र की जनजातीय आबादी में भी गहराई से प्रतिध्वनित हुआ।

औपनिवेशिक काल: प्रतिरोध और संघर्ष

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जनजातीय समाज पर तीन स्तरों पर आघात किया — भूमि-अधिकार का हनन (1793 का Permanent Settlement), वन-अधिकार का विच्छेद (Indian Forest Act 1878) और सांस्कृतिक पहचान का दमन (Criminal Tribes Act 1871) । इन अत्याचारों के प्रतिरोध में अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। 1855 का संथाल विद्रोह, 1857 में मुंडाओं का सहयोग, 1899-1900 का बिरसा मुंडा का 'उलगुलान' और रानी गाइदिन्ल्यू का नागा आंदोलन — ये सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अध्याय हैं जिन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला।

आधुनिक भारत में जनजातीय जनसंख्या: एक दृष्टि

भारत के प्रमुख जनजातीय राज्यों की जनसंख्या, प्रमुख जनजातियाँ एवं उनके योगदान का विवरण निम्नानुसार है (Census 2011; MoTA 2023):

राज्य	जनजातीय जनसंख्या	कुल जनसंख्या %	प्रमुख जनजातियाँ	मुख्य योगदान
झारखण्ड	86.45 लाख	26.3%	संथाल, मुंडा, ओराँव, हो	खनिज, वन, कृषि
मध्य प्रदेश	1.53 करोड़	21.1%	गोंड, भील, बैगा, कोरकू	वन उत्पाद, कला, शिल्प
ओडिशा	95.90 लाख	22.8%	कोंध, संथाल, भील, बोंडा	खनन, हस्तशिल्प
छत्तीसगढ़	78.22 लाख	30.6%	गोंड, बैगा, कमार, हलबा	वन, लौह अयस्क
राजस्थान	92.38 लाख	13.5%	मीणा, भील, गरासिया	पर्यटन, शिल्प
गुजरात	89.17 लाख	14.8%	भील, डुबला, नायका	वस्त्र, कृषि
महाराष्ट्र	1.05 करोड़	9.4%	भील, गोंड, वारली, कोली	वारली कला, वन

उपर्युक्त आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि जनजातीय समुदाय न केवल संख्यात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं, बल्कि वे भारत के खनिज, वन और सांस्कृतिक संसाधनों के मुख्य क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन क्षेत्रों के विकास बिना जनजातीय सहभागिता के न तो सम्भव है, न न्यायसंगत।

जनजातीय समुदाय का बहुआयामी योगदान

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

भारत के 66% वन क्षेत्र में जनजातीय समुदाय निवास करते हैं (FSI, 2021) । जनजातीय 'सरना' पूजा, 'देवी-वन' संरक्षण और 'जोहड़' जल-प्रबंधन जैसी परंपराएँ आधुनिक पर्यावरण-विज्ञान से कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। बिश्नोई समुदाय का वृक्ष-रक्षा आंदोलन, राजस्थान में Rajendra Singh द्वारा 'जोहड़' पुनरुत्थान, और नागालैंड की 'Dzükou Valley' का संरक्षण — जनजातीय पर्यावरण-नेतृत्व के उज्ज्वल उदाहरण हैं। UN SDG 13 (जलवायु कार्यवाही) और SDG 15 (स्थलीय जीवन) की प्राप्ति में जनजातीय TEK की केंद्रीय भूमिका है।

पारंपरिक ज्ञान और आयुर्वेद

भारत के जनजातीय समुदायों के पास 7,500 से अधिक औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान है (CSIR-NBRI, 2022) । इस ज्ञान के आधार पर विकसित अनेक आधुनिक औषधियाँ वैश्विक फार्मास्यूटिकल उद्योग में करोड़ों डॉलर का कारोबार करती हैं — किंतु मूल ज्ञान-धारकों को उचित मुआवज़ा नहीं मिलता। CSIR-TKDL (Traditional Knowledge Digital Library) ने इस 'बायोपाइरेसी' से सुरक्षा के लिए 3.6 लाख से अधिक पारंपरिक नुस्खों को डिजिटल रूप में संकलित किया है (TKDL, 2023) ।

कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत

जनजातीय कला भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) का सर्वाधिक जीवंत अंग है। वारली चित्रकला (महाराष्ट्र), गोंड आर्ट (मध्य प्रदेश), पट्टचित्र (ओडिशा), छऊ नृत्य (झारखंड-बंगाल) और बाउल संगीत (बंगाल) को UNESCO ने अमूर्त विरासत सूची में स्थान दिया है। Jangarh Singh Shyam और Bhajju Shyam जैसे गोंड कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय जनजातीय कला को प्रतिष्ठित किया है।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा

जनजातीय किसानों ने देशी बीजों की 1,500 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया है जो जलवायु-अनुकूल कृषि की नींव हैं। 'झूम खेती' (Shifting Cultivation) यद्यपि पर्यावरणीय दृष्टि से विवादास्पद है, किंतु परंपरागत रूप में इसमें भूमि-पुनर्जनन का वैज्ञानिक चक्र निहित है। आदिवासी क्षेत्रों में लघु वनोपज (MFP) का वार्षिक व्यापार ₹20,000 करोड़ से अधिक है जिस पर 5 करोड़ से अधिक जनजातीय परिवारों की आजीविका निर्भर है (TRIFED, 2023) ।

स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र-निर्माण

जनजातीय समुदायों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अतुलनीय और कम-चर्चित दोनों है। बिरसा मुंडा (1875-1900), तिलका माँझी (1784), रानी गाइदिन्ल्यू (1915-1993) और अल्लूरी सीताराम राजू (1897-1923) जनजातीय वीरता के प्रतीक हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुंडा, भील और संथाल सेनानियों की भागीदारी को मुख्यधारा के इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला है (Xaxa, 2008) । प्रधानमंत्री द्वारा 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित करना (2021) इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है।

वैश्विक संदर्भ: तुलनात्मक विश्लेषण

विश्व के प्रमुख देशों में जनजातीय/स्वदेशी नीतियों का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है:

देश	जनजातीय जनसंख्या	कानूनी ढाँचा	प्रमुख नीतियाँ	विकास स्तर
भारत	10.45 करोड़ (8.6%)	संवैधानिक + PESA	NEP 2020, TKDL, वन अधिकार	विकासशील
ऑस्ट्रेलिया	7.98 लाख (3.3%)	Native Title Act 1993	Closing the Gap नीति	उन्नत
कनाडा	16.7 लाख (4.9%)	संवैधानिक धारा 35	UNDRIP अनुसमर्थन 2016	उन्नत
न्यूज़ीलैंड	7.75 लाख (16.5%)	Treaty of Waitangi 1840	माओरी भाषा नीति, को-गवर्नेंस	उन्नत
ब्राज़ील	8.96 लाख (0.4%)	संविधान अनुच्छेद 231-232	FUNAI संस्था, वन संरक्षण	विकासशील
बोलीविया	70% जनसंख्या	Plurinational State मॉडल	ILO 169 अनुसमर्थन	विकासशील

न्यूज़ीलैंड का माओरी मॉडल — सर्वश्रेष्ठ अभ्यास

न्यूज़ीलैंड ने माओरी समुदाय के साथ 1840 की Treaty of Waitangi के आधार पर 'Co-Governance' मॉडल विकसित किया है। Whanganui नदी और Te Urewera वन को कानूनी व्यक्ति (Legal Person) का दर्जा दिया गया है — यह जनजातीय प्रकृति-दर्शन की विधिक स्वीकृति है। माओरी भाषा (Te Reo) को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा और विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है। भारत इस मॉडल से महत्त्वपूर्ण प्रेरणा ले सकता है।

बोलीविया का Plurinational मॉडल

बोलीविया ने 2009 में अपने संविधान में 'Plurinational State' की अवधारणा अपनाकर स्वदेशी भाषाओं, कानूनों और शासन-प्रणालियों को संवैधानिक मान्यता दी। राष्ट्रपति Evo Morales स्वयं एक स्वदेशी नेता थे। यह मॉडल दर्शाता है कि जनजातीय प्रतिनिधित्व न केवल न्यायसंगत है, बल्कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाता है।

UNDRIP और भारत की स्थिति

संयुक्त राष्ट्र के 'Declaration on the Rights of Indigenous Peoples' (UNDRIP, 2007) को भारत ने समर्थन दिया है, किंतु इसके प्रावधानों को घरेलू कानून में पूरी तरह समाहित नहीं किया गया है। UNDRIP का अनुच्छेद 32 'Free, Prior and Informed Consent (FPIC)' का अधिकार देता है — अर्थात् जनजातीय भूमि पर कोई भी विकास परियोजना उनकी सहमति के बिना नहीं होगी। भारत में बड़ी खनन और बाँध परियोजनाओं में इस सिद्धांत का उल्लंघन प्रायः देखा जाता है (Bose, 2019) ।

चुनौतियाँ, प्रभाव एवं नीतिगत समाधान

जनजातीय विकास के मार्ग में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:

चुनौती	प्रभाव	नीतिगत समाधान	प्राथमिकता
भूमि अधिकार का अभाव	विस्थापन, आजीविका हानि	वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन	उच्च
शिक्षा में पहुँच की कमी	निरक्षरता, अवसर हानि	एकलव्य विद्यालय, NEP 2020 का भाषाई प्रावधान	उच्च
स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव	शिशु मृत्यु दर, कुपोषण	आयुष्मान भारत, मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ	उच्च
सांस्कृतिक उपेक्षा	पहचान का संकट, मानसिक आघात	IKS पाठ्यक्रम, IGNCA दस्तावेज़ीकरण	मध्यम
डिजिटल असमानता	सूचना और अवसर से वंचित	डिजिटल इंडिया का जनजातीय विस्तार	मध्यम
पारंपरिक ज्ञान की चोरी	बायोपाइरेसी, आर्थिक हानि	TKDL, IPR संरक्षण नीति	उच्च
राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी	नीति निर्माण में अनुपस्थिति	PESA 1996 का सुदृढ़ क्रियान्वयन, आरक्षण	उच्च

विस्थापन: आधुनिक भारत का सबसे बड़ा जनजातीय संकट

स्वतंत्रता के बाद से भारत में बड़े बाँधों, खनन परियोजनाओं और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पर 5-6 करोड़ जनजातीय लोगों को विस्थापित किया गया है (Fernandes, 2006) । नर्मदा बचाओ आंदोलन, कलिंगनगर विरोध और छत्तीसगढ़ के खनन-विरोधी आंदोलन इस विस्थापन के विरुद्ध जनजातीय प्रतिरोध के प्रमाण हैं। Arundhati Roy ने इसे 'भारत का सबसे बड़ा विकासोत्तर विस्थापन' कहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य की खाई

2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 59% थी जबकि राष्ट्रीय औसत 73% था। जनजातीय शिशु मृत्यु दर (IMR) राष्ट्रीय औसत से 40% अधिक है। पोषण सर्वेक्षण (NFHS-5, 2021) के अनुसार जनजातीय बच्चों में ठिगनापन (Stunting) 43.8% है जो राष्ट्रीय औसत 35.5% से काफी अधिक है। ये आँकड़े जनजातीय विकास की विफलता की कहानी कहते हैं।

संवैधानिक एवं नीतिगत ढाँचा

भारतीय संविधान में जनजातीय प्रावधान

भारतीय संविधान ने जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) — शैक्षणिक और सरकारी सेवाओं में आरक्षण; अनुच्छेद 46 — आर्थिक और शैक्षणिक उन्नति का राज्य दायित्व; अनुच्छेद 244 — पाँचवीं और छठी अनुसूची के माध्यम से क्षेत्रीय स्वशासन; अनुच्छेद 275 — जनजातीय क्षेत्रों हेतु विशेष अनुदान। ये प्रावधान संवैधानिक इच्छा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हैं, किंतु क्रियान्वयन की खाई व्यापक है।

PESA अधिनियम 1996 — स्वशासन का आधार

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act 1996 ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, लघु वनोपज व्यापार और भूमि अधिग्रहण में 'Free Prior Informed Consent' का अधिकार दिया। यह अधिनियम जनजातीय लोकतंत्र का संवैधानिक आधार है। किंतु अनेक राज्यों में इसके नियम अभी भी नहीं बने हैं, और जहाँ बने हैं वहाँ क्रियान्वयन अपूर्ण है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 — ऐतिहासिक भूल का सुधार

Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 को 'जनजातियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय का प्रायश्चित' कहा गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता का प्रावधान है। किंतु 2023 तक केवल 44.7 लाख दावों में से 22.5 लाख दावे ही स्वीकृत हुए हैं और लाखों वैध दावे अस्वीकृत कर दिए गए हैं (MoTA, 2023)।

NEP 2020 और जनजातीय शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जनजातीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा, IKS-एकीकरण और एकलव्य विद्यालयों के विस्तार का संकल्प लिया है। NEP 2020 के अनुच्छेद 4.27 में 'स्थानीय और जनजातीय ज्ञान प्रणालियों' को मुख्यधारा की शिक्षा में सम्मिलित करने का स्पष्ट निर्देश है। यह एक ऐतिहासिक नीतिगत परिवर्तन है जो यदि ईमानदारी से लागू हो तो जनजातीय शिक्षा में क्रांति ला सकता है।

सुझाव

भूमि एवं वन अधिकारों की पुनर्प्राप्ति

- वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत लंबित सभी दावों का 2 वर्ष में त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाए।
- खनन और बाँध परियोजनाओं में UNDRIP के 'FPIC' सिद्धांत को कानूनी दायित्व बनाया जाए।
- विस्थापित जनजातीय परिवारों के लिए समुचित पुनर्वास और आजीविका नीति तत्काल लागू हो।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य

- 2030 तक सभी जनजातीय बाहुल्य जिलों में एकलव्य विद्यालयों की स्थापना पूर्ण की जाए।
- जनजातीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री का विकास और जनजातीय शिक्षकों की विशेष भर्ती की जाए।
- मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ, आयुष्मान भारत और पोषण मिशन को जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता मिले।

आर्थिक सशक्तीकरण

- लघु वनोपज (MFP) पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को सभी 87 प्रजातियों तक विस्तारित किया जाए।
- TRIFED के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को e-commerce प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से जोड़ा जाए।
- जनजातीय पारंपरिक ज्ञान को GI Tag और IPR संरक्षण प्रदान कर आर्थिक लाभ मूल धारकों तक पहुँचाया जाए।

सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण

- पाठ्यक्रम में जनजातीय इतिहास, कला और ज्ञान परंपरा को समुचित स्थान दिया जाए।
- राज्य एवं राष्ट्रीय नीति-निर्माण में जनजातीय प्रतिनिधियों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- 'Co-Governance' मॉडल (न्यूज़ीलैंड की तर्ज पर) जनजातीय प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में लागू किया जाए।

- UNDRIP को भारतीय कानून में पूर्णतः समाहित किया जाए।

शोध एवं दस्तावेज़ीकरण

- जनजातीय पारंपरिक ज्ञान का व्यापक वैज्ञानिक दस्तावेज़ीकरण (TKDL विस्तार) किया जाए।
- जनजातीय क्षेत्रों में अनुदैर्ध्य सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना हो।

निष्कर्ष

भारत के जनजातीय समुदाय इस राष्ट्र की आत्मा हैं। वे इस भूमि के आदि-संरक्षक हैं, इस सभ्यता के प्रथम वास्तुकार हैं और इस लोकतंत्र के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। उनका वन-ज्ञान वैश्विक जलवायु संकट का समाधान है, उनकी सामुदायिक-व्यवस्था आधुनिक लोकतंत्र का आदर्श है, और उनकी कला मानवता की अमूर्त विरासत का अमूल्य अंग है।

तथापि विकास के नाम पर उनका विस्थापन, उनके ज्ञान की चोरी और उनकी संस्कृति की उपेक्षा — ये सब भारतीय राज्य के सामने अनुत्तरित नैतिक प्रश्न हैं। वैश्विक संदर्भ यह सिखाता है कि जहाँ-जहाँ स्वदेशी समुदायों को उनकी भूमि, भाषा और शासन-अधिकार वापस दिए गए हैं, वहाँ समाज अधिक समतामूलक, पारिस्थितिकी अधिक संतुलित और लोकतंत्र अधिक सच्चा बना है।

भारत के लिए यह समय है कि वह जनजातीय समुदायों को 'विकास के लाभार्थी' नहीं, 'विकास के भागीदार और नेता' के रूप में देखे। एक ऐसा भारत जो अपने 10.45 करोड़ जनजातीय नागरिकों के साथ न्याय करे — वही वास्तव में विश्वगुरु बन सकता है।

> ***" जनजातीय समाज वह जड़ है जिससे भारतीय सभ्यता का वृक्ष पोषण पाता है। जड़ों को काटकर शाखाओं की समृद्धि संभव नहीं।"***

संदर्भ सूची

1. Bose, P. K. (2019). Tribal rights and development in India: A critical assessment. Journal of Social Policy, 48(3), 521-538.
2. Census of India. (2011). Scheduled Tribes population report 2011. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
3. CSIR-NBRI. (2022). Traditional medicinal plant knowledge of tribal communities in India. National Botanical Research Institute, Lucknow.
4. CSIR-TKDL. (2023). Traditional Knowledge Digital Library: Annual report 2022-23. Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi.
5. Fernandes, W. (2006). Development-induced displacement and tribal women. In R. Samson (Ed.), Tribal development in India (pp. 121-147). Rawat Publications.
6. Forest Survey of India. (2021). India state of forest report 2021. Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Dehradun.
7. Gadgil, M., & Guha, R. (1992). This fissured land: An ecological history of India. Oxford University Press.
8. Government of India. (1996). The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996. Ministry of Law and Justice, New Delhi.
9. Government of India. (2006). The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006. Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.

10. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi.
11. IGNCA. (2022). Intangible cultural heritage of tribal communities: Documentation and preservation. Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi.
12. Ministry of Tribal Affairs. (2023). Annual report 2022-23. Government of India, New Delhi.
13. NFHS-5. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019-21: India report. International Institute for Population Sciences, Mumbai.
14. Roy, A. (1999). The greater common good. India Book Distributors.
15. Sahay, K. N. (1995). Tribal development in India: Retrospect and prospect. Gyan Publishing House, New Delhi.
16. Singh, K. S. (1985). Tribal society in India: An anthropo-historical perspective. Manohar Publications, Delhi.
17. Singh, V. P. (2014). Tribal movements in India: A historical perspective. Journal of Indian History, 32(1), 45-67.
18. TRIFED. (2023). Annual report 2022-23: Tribal cooperative marketing development federation of India. New Delhi.
19. UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2023). State of the world's indigenous peoples. United Nations Publications, New York.
20. UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO Publishing, Paris.
21. United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). United Nations, New York.
22. Xaxa, V. (2008). State, society and tribes: Issues in post-colonial India. Pearson Education India, New Delhi.
23. Xaxa, V. (2014). Report of the high-level committee on socio-economic, health and educational status of tribal communities of India. Ministry of Tribal Affairs, Government of India.
24. Yadav, R. K., & Singh, A. (2021). Tribal education and social development in central India. Journal of Tribal Studies, 14(2), 45-63.
25. Zama, M. C. (2015). Indigenous knowledge systems and intellectual property rights in India. Social Action, 65(1), 1-18.